कार्यालय परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता
पी०एम०यू० ए०डी०बी० लोक निर्माण विभाग, देहरादून

फोन सं0– 0135–2722825
ई–मेल– pdpmuadb.pwduk@gov.in

21, इंजीनियर्स इन्क्लेव, जी0एम0एस0रोड
निकट बैंक ऑफ बड़ौदा, देहरादून–248001

पत्रांक– 208/01 सामान्य/2023 दिनांक– 26/06/2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"प्रशिक्षण वर्ग"
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

विषयः– Road Infrastructure Protection Act, 2014 Act एवं Road Infrastructure Protection Rules 2023 (Draft) के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक443/204सा0प्र0/23 दि0 01.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी एवं रा0मा0देहरादून के अन्तर्गत नामित कार्यालयों के उपस्थित अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों को निर्धारित तिथि एवं समय में Road Infrastructure Protection Act, 2014 एवं Road Infrastructure Protection Rules 2023 (Draft) का आनलाइन प्रशिक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया जा चुका है। अनुरोध है कि प्रशिक्षण से सम्बन्धित संलग्न अभिलेखों को आवश्यक उपयोग हेतु विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

1. Road Infrastructure Protection Act, 2014
2. Road Infrastructure Protection Rules 2023 (Draft)
3. Do and Don't of Road Infrastructure Protection Act. 2014

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र सिंह आनन्द)
(अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक)
पी0एम0यू0,ए0डी0बी0,लो0नि0वि0
देहरादून।

D.Drive/ Kothari Sir/letter Adhisthan

पंजीकृत संख्या—यू०ए०/डी०एन०/डी०डी०यू०-30/2012-14
(आइ०एस०ओ० 9 पोस्ट डिपार्टमेंट प्रीपेड)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 12 मार्च, 2014 ई०

फाल्गुन 21, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 112/XXXVI(2)/2014/18(1)/2014

देहरादून, 12 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014" पर दिनांक 04 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2014)

सड़क संरचना के दुरुपयोग, क्षति, अनाधिकृत प्रयोग और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं 2 इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में अथवा अपेक्षित न हो –

(क) 'कृषि' से उद्यान, दुग्धपालन, मुर्गीपालन और किसी बगीचे में वृक्षारोपण और उसका रख रखाव सम्मिलित है,

(ख) 'अपीलीय प्राधिकारी' से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किसी अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अभिप्रेत है,

(ग) 'भवन' से आवास, झोपड़ी अथवा अन्य छत वा ढाँचा चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए हो अथवा किसी सामग्री से निर्मित हो और उसका कोई भाग तथा इसमें कोई दीवार अथवा पक्का घर अथवा पक्की छाई अथवा नाली सम्मिलित है किन्तु इसमें कोई तम्बू अथवा कृषि प्रयोजन के लिए बाड़ सम्मिलित नहीं है,

(घ) 'भवन क्रम' से किसी सड़क या किसी सड़क के भाग के एक ओर के क्रम जिसे सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना से ऐसी सड़क अथवा भाग में नियत रीति से विहित करे, अभिप्रेत है,

(ङ) 'अनुमोदन प्राधिकारी' से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किसी अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से अनिम्न कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(च) 'नियंत्रित क्षेत्र' से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश शहरी सड़क भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945(समय समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 के अधीन घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है,

सहयोगी संरचना सम्मिलित है,

(चौथ) एक्सप्रेस मार्ग जिसमें आपसी परिवर्तन, फेंसी बेरियर, ट्रि-मार्ग और अन्य आवश्यक संरचना सम्मिलित है,

(छः) सड़क सुविधा जैसे पैरापिट्स, रेलिंग, मील पत्थर, किलोमीटर पत्थर, बैच निशान, दर्शनीय और साइन बोर्ड, बैरीकेटिंग और क्रैश बैरीयर,

(सात) सड़क ऊपरी पुल, फ्लाईओवर्स और आने–जाने के मार्ग तथा उनकी सहयोगी संरचना,

(आठ) सड़क पार्श्व पार्किंग स्थान,

(नौ) सड़क पार्श्व वृक्षारोपण, नर्सरी, हेज और अन्य भू-दृश्य वस्तुएं,

(दस) टॉल बूथ/प्लाजा,

(ग्यारह) सुरंगें और सहायक संरचना,

(बारह) मार्ग पार्श्व सुविधाएं/संरचना जैसे धर्मी से बचाव के लिए आश्रय, बाई बस लेन, सार्वजनिक सुविधाएं, मार्ग और सड़क से संलग्न शासकीय भूमि या स्थित खुला स्थान,

(द) 'सचिव' से लोक निर्माण विभाग का उत्तराखण्ड सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसमें अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्हीं अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए सचिव के रूप में किसी समय के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ध) 'कार्य निरीक्षक' से अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक निर्माण विभाग का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें विभाग का वर्क एजेन्ट और मेट सम्मिलित हैं।

अतिक्रमण पर निषेध

3 कोई व्यक्ति –

(एक) सड़क संरचना के अधीन सरकारी भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा,

(दो) कोई स्थायी, अस्थायी अथवा घटित संरचना सड़क पर अथवा सड़क संरचना नहीं बनायेगा,

(तीन) किसी कार्यशाला अथवा किसी वाणिज्यिक गतिविधियों का कार्यान्वयन जिससे सड़क संरचना पर पशुओं को बाँधने सहित सड़क का दुरूपयोग नहीं करेगा,

(चार) सड़क किनारे की नालियों और आर-पार नालियों की पद्धति को अवरोध/क्षति नहीं पहुँचायेगा,

(पांच) सड़क पर निजी सम्पत्तियों से झुका–कारकट नहीं फेंकेगा,

(छः) सड़क पर खुदान की मिट्टी/मलबा व कोई अन्य सामग्री नहीं फैलायेगा और अनाधिकृत रूप से सामग्री/वस्तुओं का स्थायी भण्डारण नहीं करेगा,

(सात) सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के बिना सड़क संरचना की क्षति/खुदाई नहीं करेगा,

(आठ) अनाधिकृत रूप से कोई हैंडपम्प अथवा पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं करेगा,

(नौ) पहुँच मार्ग, सुरक्षा दीवार और बिन दीवार, पैराफिट, रैलिंग और प्रकाश पद्धति, सुरक्षात्मक कार्य, सुरंग, उनके सहयोगी संरचना तथा अन्य संरचनाएं जैसे सड़क खड़न्जा, किनारे रिटेनिंग दीवार, ब्रेस्ट दीवार, टो दीवार, निकासी नालियां और सड़क किनारे की नालियां, सड़क निशान, दीवार जैसे रम्बल स्ट्रीप्स, पथप्रकाश, यातायात प्रकाश, बैरीकेड्स, क्रैश बैरियर, साइन बोर्ड, किलोमीटर पत्थर, सन्दर्भ पिलर, चाहरदीवारी पिलर, सड़क चिन्हांकन संरचनाएं, पैदल मार्ग, टोलबूथ/प्लाजा, मार्ग की सुविधाएं जैसे वर्षा से बचाव के लिए आश्रय, बाईं बस लेन, लोक सुविधाओं के लिए पार्क तथा सड़क एवं नदी से लगी खाली भूमि और अन्य संरचनाएं जो कि सड़क की रखरखाव और यातायात की सुविधा दिलाने के लिए आवश्यक हो सहित पुल, सड़क, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर और अनिम्न प्रवेश को क्षति/विस्थापित नहीं करेगा,

(दस) दुर्घटना स्थल पर अनुपयुक्त अथवा मरम्मत अथवा मरम्मत के बिना अथवा बेकार सामग्री/मशीनों को सड़क पर खड़ा नहीं करेगा,

(ग्यारह) सड़क के किनारे किए गये वृक्षारोपण, मकोरे, हेज और अन्य भू-दृश्य वस्तुओं को क्षतिग्रस्त/नहीं उखाड़ेगा,

(बारह) अनाधिकृत रूप से होर्डिंग का प्रयोग नहीं करेगा,

(तेरह) 'उत्तराचल लोक सम्पत्ति विरूपण का प्रतिषिद्ध अधिनियम, 2003' के अधीन प्रतिषिद्ध कृत्य नहीं करेगा,

(चौदह) अनाधिकृत रूप से स्वागत द्वार इत्यादि को नहीं लगायेगा,

(पन्द्रह) इस धारा के अधीन सरकार अधिसूचित कोई विलोपन अथवा आसरण का कोई कृत्य कारित नहीं करेगा, जो कि सड़क संरचना के लिए हानिकारक हो,

(सोलह) क्षेत्र में खनन के फलस्वरूप सड़क संरचना को क्षतिग्रस्त नहीं करेगा,

(सत्रह) नियंत्रित क्षेत्र में कोई ढाँचा न तो लगायेगा और न ही बनायेगा।

संरचना 4 (1) सड़क संरचना का प्रभारी अधिशासी अभियन्ता 1:500 मान पर अपने क्षेत्राधिकार में सड़क संरचना का एक नक्शा जो कि सड़क की लम्बाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करें, तैयार करेगा।

(2) नक्शे में महत्वपूर्ण स्थलों जिसमें भवन और नियंत्रण रेखाएं तथा राजस्व विभाग द्वारा नियत स्थल सहित सड़क संरचना के रूप में सड़क संरचना के चिन्हांकन और पुनः सीमांकन के लिए सन्दर्भ बिन्दु भी प्रदर्शित करेगा और नक्शे को सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(3) सरकार समाचार पत्रों में प्रकाशित कर लोगों को सड़क के नक्शे की विधिमान्यता के सम्बन्ध में उसकी चाहरदीवारी तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को दर्शायेगा तथा सड़क संरचना के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में लोक निरीक्षण के लिए ऐसे नक्शे को उपलब्ध करायेगा तथा समाचार पत्र में

सूचना के प्रथम प्रकाशन के दिन से साठ दिन के भीतर लोगों से आपत्तियाँ आमंत्रित करेगा और इसी प्रकार से प्रस्तावित विस्तार अथवा परिवर्तन को कब्जा प्रदर्शित करेगा।

(4) उठायी गई आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात सरकार ऐसे नक्शे को अंतिम रूप देगी और उसकी विधिमान्यता और अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में संदर्भ तथा प्रयोग की उपलब्धता की सम्बन्ध में जनता को सूचित करेगी।

(5) उपधारा 3 के अधीन कार्यवाही किए जाने के पश्चात् उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के खण्ड में सड़क संरचनानक्शे के संदर्भ अभिलेख में रख दिया जायेगा और वह खण्ड के सड़क संरचना नक्शा के रूप में जाना जायेगा।

(6) विहित/अनुमोदित प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी प्रतिषिद्ध गतिविधियों के होने पर उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड के सड़क संरचना नक्शे को निर्धारण हेतु संदर्भित किया जायेगा।

(7) सड़क संरचना नक्शा जन सामान्य के निरीक्षण के लिए खण्ड में उपलब्ध रहेगा और विहित शुल्क के भुगतान करने पर क्षेत्र के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त की जा सकेगी।

(8) राजमार्ग सहित भूमि के नियंत्रण के लिए और अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार विहित करेगी और सड़कों के किनारे की निजी सम्पत्ति को भवन काम और नियंत्रण रेखा से दूर करने के लिए बाध्य करेगी।

निरीक्षक के कर्तव्य

5 विहित प्राधिकारी अथवा कार्य निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके क्षेत्राधिकार में अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि नहीं हो रही है।

प्रतिषिद्ध गतिविधियों का प्रकटन

6 (1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध किसी गतिविधि की जानकारी होने पर विहित प्राधिकारी दोषी व्यक्ति को प्रतिषिद्ध गतिविधियों को रोकने के लिए आदेश जारी करेगा एवं आवश्यकता होने पर सड़क संरचना को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देगा।

(2) उपधारा 1 के अधीन विहित प्राधिकारी का आदेश प्रतिषिद्ध गतिविधि को स्पष्ट रूप से वर्णित करते हुए लिखित रूप में होगा और स्वीय के माध्यम से भी प्रतिषिद्ध गतिविधि के प्रकटन की स्थिति नक्शे के सम्बन्धित भाग पर इंगित करेगा तथा ऐसी गतिविधि के विस्तार पर हुई क्षति अथवा होने वाली क्षति से अवगत करायेगा।

(3) विहित प्राधिकारी दोषी व्यक्ति को निर्दिष्ट अवधि के भीतर सड़क संरचना को अपने मूल स्थिति में लाने हेतु निर्देशित करेगा व नोटिस जारी करने के तीन दिन के भीतर यथास्थिति बनाये रखने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने और पूर्ण करने हेतु अनुदत्त समय भी प्रदान करेगा।

(a) विहित प्राधिकारी इस धारा के अधीन दिये गये कोई निर्देश अथवा पारित आदेश का अनुपालन में असफल रहने वाले विशेष रूप से दोषी व्यक्ति के मूल्य और उसके जोखिम पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के लिए कार्यवाही करेगा इसके अतिरिक्त मौलिक रूप में उसके हेतु मूल्य को अधिरोपित कर सकेगा। इस प्रकार व्यय की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जा सकेगी और विहित प्राधिकारी तद्नुसार सरकार को सूचित करेगा और विहित रीति से किसी प्रतिषिद्ध गतिविधि के फलस्वरूप उपयोग में लायी गई सम्पत्ति को जब्त कर बिक्री करेगा।

(b) नोटिस की तामील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दी गई रीति के अनुरूप होगी।

(c) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश को किसी आधार पर किसी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

दण्ड का अधिरोपण

7 इस अधिनियम की धारा 11 में जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित है, विहित प्राधिकारी सड़क संरचना पर छोड़े गये वाहन/मशीन/सामग्री को कब्जे में लेगा और इसके अतिरिक्त हटाने के मूल्य पर विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में वाहन/मशीन/सामग्री रखने की अवधि के लिए बीस हजार रुपये लेकिन न्यूनतम पांच हजार तक का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा,

परन्तु यह कि विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में लिए गये वाहन/मशीन/सामग्री को दस दिन से अधिक के लिए रखा जाता है तो अनुमोदन प्राधिकारी कब्जे में ली गई सम्पत्ति के निस्तारण के लिए भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 25, 26 और 27 के अधीन कार्यवाही करेगा।

आपत्तियों पर सुनवाई

8 व्यथित पक्ष का विहित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध अनुमोदन प्राधिकारी को उक्त आदेश की तामील के पन्द्रह दिन के भीतर आपत्ति योजित कर सकेगा और अनुमोदन प्राधिकारी व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुए और उसके पश्चात् तीस दिन के भीतर अनुमोदन अथवा निरस्त करने के आदेश स्वमतित और कारण सहित विहित प्राधिकारी के माध्यम से जारी करेगा।

अपील

9 (1) अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि अनुमोदन प्राधिकारी के आदेश के पारित होने के तीस दिन के भीतर अपील योजित न कर दी गई हो,

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कोई अपील स्वीकार की जा सकेगी, यदि आवेदक अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि निर्धारित अवधि के भीतर अपील योजित न करने के पर्याप्त कारण थे,

परन्तु यह और कि आवेदक सब ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करे, किसान द्वारा आकलित मरम्मत मूल्य की पचास प्रतिशत धनराशि जमा करेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील के दाखिल होने के तीस दिन के भीतर अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुमोदित अथवा खारिज कर सकेगा।

अपीलीय प्राधिकारी

10 (1) धारा 9 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर पुनर्विलोकन के लिए सरकार को आवेदन कर सकेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन प्राधिकारी पुनर्विलोकन आवेदन के प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर या तो अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को अनुमोदित करेगा अथवा खारिज करेगा। सरकार इस धारा के अधीन प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगी।

शुल्क

11 (1) धारा तीन के खण्ड (एक), (तीन), और (आठ) में संदर्भित किसी प्रतिषिद्ध गतिविधि में सम्मिलित कोई व्यक्ति को विहित प्राधिकारी सड़क संरचना को उसके मौलिक रूप में लाने के लिए आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश पारित होने के तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है तथा अनुदत्त समय के भीतर पूरा नहीं करता है तो विहित प्राधिकारी त्रुटिकर्ता के मूल्य पर आदेश को प्रभावी किये जाने हेतु ऐसे उपाय कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्धों अथवा उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध कार्य करता है अथवा अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो विहित प्राधिकारी सुनवाई का समुचित अवसर देकर ऐसे व्यक्ति को सड़क संरचना को मौलिक रूप में लाने का शुल्क तथा सड़क संरचना के मौलिक मूल्य को अतिरिक्त रूप से निम्नवत् भुगतान करने के आदेश दे सकेगा–

(एक) धारा 3 के खण्ड (दो), (चार), (नौ), (दस), (ग्यारह), (सोलह) और (सत्रह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए मौलिक मूल्य के पाँच गुने के बराबर होगा,

(दो) धारा 3 के खण्ड (छः) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए खुदान की मिट्टी/मलबा के संदर्भ में एक हजार रुपये प्रतिदिन मीटर अथवा उसके भाग और खड़ी/पत्थर सामग्री के सन्दर्भ में दो हजार रुपये प्रति ट्रक भार अथवा उसके किसी भाग के प्रतिदिन की दर से,

(तीन) धारा 3 के खण्ड (बारह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन

के लिए एक हजार रुपये प्रतिवर्ग मीटर प्रति सप्ताह तब के लिए जब तक यह बना रहे,

(चार) धारा 3 के खण्ड (चौदह) में सन्दर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए पाँच सौ रुपये प्रति मीटर, प्रतिदिन की दर से तब के लिए जब तक यह बना रहे,

(पांच) धारा 3 के खण्ड (तेरह) अथवा (पन्द्रह) में सन्दर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए हटाने के मूल्य का पाँच गुने की दर से।

स्पष्टीकरण –

(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन सभी मौलिक मूल्य और देय शुल्क दस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को जमा किये जायेंगे और ऐसा करने में असफल रहने पर इसे भू–राजस्व के अवशेष के रूप में ब्याज सहित जो कि जमा के लिए अंतिम तारीख के अनुसरण से प्रारम्भ होगा, वसूल किया जायेगा।

(2) हटाने/मौलिक मूल्य का निर्धारण उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की वर्तमान दरों की प्रचृत अनुसूची के अनुसरण होगा।

अपराध पर संज्ञान

12 (1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध कृत्य के लिए अभियुक्त कोई व्यक्ति अथवा इस अधिनियम की धारा (5) के अधीन सौंपे गये दायित्वों में असफल रहने पर दो वर्ष तक का कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई दण्डनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं ले सकेगा, जब तक कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार अधिकृत किसी लोक सेवक के द्वारा लिखित शिकायत नहीं की जाती है।

अपराधों का विचारण

13 इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के विचारण हेतु प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अनिम्न श्रेणी सुनवाई हेतु सक्षम नहीं होगा।

सुविधाओं का उपभोग

14 प्रत्येक व्यक्ति जो निम्नलिखित सुविधाओं का उपभोग करेगा, अर्थात्–

(एक) सड़क संरचना से निजी सम्पत्ति को पहुँच नहीं बनायेगा,

(दो) पाईप लाईन, सिवेज लाईन, विद्युत केबिल, टेलिफोन केबिल आदि को बिछायेगा चाहे वह सड़क अथवा पुल के एक ओर हो या दोनों ओर हो,

(तीन) विद्यमान सड़क के किनारे से दोनों ओर 50 मीटर के भीतर खनन गतिविधि अथवा किसी पुल के 500 मीटर ऊपर धारा या 500 मीटर नीचे धारा खनन की गतिविधियाँ,

(चार) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर किसी निजी अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन,

(पांच) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर होर्डिंग का प्रदर्शन,

(छ) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र का पीट्स ईकाइयों की समाप्ति,

(सात) 48 घण्टे तक की अनधिक अवधि के लिए दुर्घटना पीड़ित वाहन/वस्तुओं को खड़ा रखना और,

(आठ) 48 घण्टे से अनधिक अवधि के लिए, सड़क पर किसी सामग्री/वस्तुओं का अस्थायी भण्डारण हेतु खण्ड (एक) से (छः) के अधीन सड़क संरचना के क्षेत्राधिकार वाले प्रभारी अधिशासी अभियन्ता से तथा इस धारा के खण्ड (सात) और (आठ) के अधीन सुविधा के लिए प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता से लिखित रूप से अनुमति प्राप्ति हेतु आवेदन करेगा एवं इस प्रकार की अनुमति हेतु सभी आवेदन विहित रीति से किये जायेंगे,

बशर्ते कि धारा के अधीन लिखित अपेक्षा के अनुपालन में असफल होने पर इस अधिनियम की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार मूल्य/शुल्क की भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा,

परन्तु यह कि इस धारा में उल्लिखित सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने की दशा में लाभग्राही को शुल्क की पूर्ति जमा करनी होगी।

वाद का परीक्षण

15 अनुमोदन प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी वाद को सम्पादित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वाद का परीक्षण के समय पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित सभी शक्तियां प्राप्त होंगी:-

(क) किसी व्यक्ति को समन भेजने एवं उपस्थिति हेतु बाध्य करना तथा शपथ प्राप्त करना,

(ख) अभिलेखों के परीक्षण की अपेक्षा और प्रस्तुतीकरण, और

(ग) अन्य कोई मामले जो विहित किये जायें।

वाद वर्जन

16 इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित प्राधिकारी अथवा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी विभाग के किसी उच्चतर अधिकारी के निर्देश अथवा आदेशों के पालन में किसी कृत्यों के लिए जो उसके द्वारा सद्भावनापूर्वक किया गया हो अथवा किया जाना आशयित हो, के विरूद्ध कोई वाद या अभियोग नहीं चलाया जायेगा।

क्षेत्राधिकार

17 इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी मामले के असफल होने के सम्बन्ध में किसी प्रश्न को निस्तारण अथवा प्रस्तुत करने का कोई क्षेत्राधिकार किसी सिविल न्यायालय का नहीं होगा।

विभागीय अभिलेखा

18 सभी सड़क संरचनाएं, जैसे ही वह प्रचालन में आएगा, सरकार की ओर से विभाग की अभिलेखा में समझी जायेंगी।

निकायों को शक्ति प्रदान करना

19 सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के भीतर स्थित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और विकास प्राधिकरणों को उनके क्षेत्राधिकार में सड़क संरचना के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों के सम्पादन और ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, सशक्त कर सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

20 (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्–

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अथवा अधिकृत किये जाने के लिए किसी नोटिस का प्रारूप और इसे तामील करने की रीति,

(ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों का संचालन,

(ग) विहित प्राधिकारी के कार्य का वितरण और आवंटन तथा किसी लंबित कार्यवाही को किसी विहित प्राधिकारी से अन्य विहित प्राधिकारी को अन्तरित किया जाना,

(घ) प्रतिषिद्ध गतिविधियों के कृत्यों के परिणामस्वरूप हुई क्षति के आकलन की रीति और ऐसे क्षति के आकलन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धान्त,

(ङ) सड़क संरचना की पहुँच के सम्बन्ध में नक्शा तैयार करने की रीति,

(च) इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अथवा इन्कार की जाने वाली अनुमति की रीति और अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क, तथा,

(छ) कोई अन्य मामले जो विहित किए जायें।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे।

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

के०डी० भट्ट,
प्रमुख सचिव।

No. 112/XXXVI(3)/2014/78(1)/2014
Dated Dehradun, March 12, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014'** (Adhiniyam Sankhya 15 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 04 March, 2014.

THE UTTARAKHAND ROAD INFRASTRUCTURE PROTECTION ACT, 2014
(UTTARAKHAND ACT NO. 15 OF 2014

AN
ACT

to provide for prevention of misuse, damage, unauthorized use and encroachment of the road infrastructure.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Uttarakhand in the Sixty-Fifth Year of the Republic of India, as follows:

Short title, extend and Commencement — 1 (1) This Act may be called the Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014.
(2) It shall extend to the whole of Uttarakhand.
(3) It shall come into force at once.

Definition — 2 In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) "agriculture" includes horticulture, dairy farming, poultry farming and the planting and upkeep of an orchard;

(b) "appellate authority" means the Chief Engineer in-charge of the zone of Uttarakhand Public Works Department, appointed by the Government, by notification, in the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred upon him under this Act and the rules made thereunder;

(c) "building" means a house, hut, shed, or other roofed structure, for whatever purpose or of whatsoever material

constructed and every part thereof, and includes a wall or masonry platform or masonry ditch or drain but does not include a tent or a fence for agricultural purposes;

(d) "building line" means a line on either side of any road or part of a road, fixed in the manner prescribed, in respect of such road or part, by the Government, by notification in the Official Gazette;

(e) "confirmatory authority" means any authority not below the rank of Executive Engineer of Uttarakhand Public Works Department appointed by the Government, by notification, in the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred upon him under this Act and the rules made thereunder;

(f) "Controlled area" for the purpose of this Act shall mean an area declared as such under section 3 of UTTARPRADESH Road Side Land Control Act 1945 (From amended Time to time)

(g) "Controlled line" means a line on either side of any road or part of a road beyond the building line fixed in the manner prescribed, in respect of such road or part, by the Government, by notification in the Official Gazette;

(h) "Department" means the department of the Government of Uttarakhand to whom the work relating to road infrastructure has been entrusted;

(i) "Government" means the Government of Uttrakhand;

(j) "Map" means the road infrastructure map of a division, notified by the State Government under section 4 of this Act;

(k) "Official Gazette" means the Rajpatra, Uttarakhand;

(l) "Place of worship" includes a temple, church, mosque, imambara, dargah, karbala, takya, idgah, smadhi, math, sati ka sthan or gurudwara;

(m) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "Prescribed authority" means any authority not below the rank of Junior Engineer of Uttarakhand Public Works Department, appointed by the Government by notification, in

the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred under him under this Act and the rules made thereunder;

(o) "Revisional authority" means Secretary (Public Works Department) to the Government of Uttarakhand, appointed by the Government, by notification, in the Official Gazette to perform any or all of the functions as conferred upon him under this Act and the rules made thereunder;

(p) "Road" means a road maintained by the Government of Uttarakhand or any local authority and shall not include National Highways declared under the National Highway Act, 1956;

(q) "Road infrastructure" means the roads, paths and streets for transport or communication and shall include :-

(i) acquired road land width;

(ii) all types of road and their structure, such as road pavements, shoulders, retaining walls, breasts walls, toe walls, cross-drainage, kerb, road side drains, road junctions, medians, speed breakers, i.e. rumble strips, street lighting, traffic lights etc;

(iii) any structure ancillary to road transport and communication system;

(iv) bridges including approaches, return walls, wing walls, protection works and allied structures;

(v) expressways including interchanges, grade separators, dividers and other ancillary structures;

(vi) road furniture, such as parapets, railings, kerb stones, kilometer stones, benches, cat eyes, reflector pedestals and signboards, barricades and crash barriers;

(vii) road over bridges, flyovers and under passes and their allied structures;

(viii) roadside parking area;

(ix) roadside plantation, nurseries, hedges and other landscape items;

(x) toll booths/ plaza;

(xi) tunnels and ancillary structures;

(xiii) wayside amenities/structure, such as rain shelters, lay bye bus lanes, public conveniences, parks and open spaces located on Government land along the road;

(r) "Secretary" means Secretary Public Works Department to the Government of Uttarakhand and includes any person for the time being appointed by the Government, by notification, to exercise and perform all or any of the powers and functions of the Secretary under this Act and the rules made thereunder; and

(s) "Work Inspector" means any employee of the Uttarakhand Public Works Department, appointed by the State Government by notification, as such, and includes Work agent and Mate of the department.

Prohibition of encroachment

3 No person shall –

(i) encroach upon the Government land under road infrastructure;

(ii) raise any permanent, temporary or movable structure on or from road infrastructure;

(iii) misuse a road by erecting workshop and carrying out commercial activity including tethering of livestock on road infrastructure;

(iv) block/damage roadside drain and cross drainage system;

(v) divert sullage/muck from private properties to the road;

(vi) stack/throw excavated earth/debris on roads and unauthorisedly stack material on roads;

(vii) dig/damage road infrastructure without permission from competent authority;

(viii) un-authorisedly install hand pumps and petrol pumps;

(ix) damage/deface bridges, road over bridges, flyovers and under-passes including approaches, return walls and wing wall, parapets, railing and lighting system, protection works, tunnels and their ancillary structures and other structures such as road pavement, shoulders, retaining walls, breast walls, toe walls, cross-drainage and roadside drains, road junctions, medians, speed-breakers, i/c rumble strips, street lighting, traffic lights, barricades, crash barriers, sign board, kilometer stone, reference pillar, boundary pillar, road identification marked infrastructure, pedestals benches, toll booths/plaza, way side amenities such as

rain shelters, lay byes, bus lanes, public conveniences parks and open spaces along the road and building any other structure meant for facilitating road transportation and maintenance of roads;

(x) park accidental or condemned or serviceable or unserviceable vehicles or goods/machinery on the road;

(xi) damage/uproot roadside plantation, nurseries, hedges and other landscape items;

(xii) un-authorisedly display of hoardings;

(xiii) commit an act prohibited under the UTTRANCHAL Prevention of Defacement of Public Property Act, 2003;

(xiv) un-authorisedly erect welcome gates, arches etc;

(xv) commit any act of omission or commission that may be notified by the Government under this section as injurious to the road infrastructure;

(xvi) damage road infrastructure due to mining in the area;

(xvii) erect or construct any structure in the controlled area.

Structure 4 (1) Executive Engineer in-charge of the road infrastructure shall prepare on a scale of 1:500 a map of the road infrastructure within his jurisdiction showing therein the length and width of the road.

(2) The map shall also show important landmarks including building and control lines and landmarks fixed by the Revenue Department along the road infrastructure as reference points for identification and demarcation of the road infrastructure and the map shall be approved by the Chief Engineer in-charge of the Zone concerned.

(3) The Government shall, through publication in newspapers, inform the public regarding the existence of maps of the roads showing their boundaries and other important landmarks and the availability of such maps of public inspection in office of the Executive Engineer-in-charge of the road infrastructure and the Government shall also invite public objections within sixty days of first publication of the notice in newspapers and similarly for every addition or change made therein subsequently.

(4) After adjudicating upon the objections raised, the Government shall finalise such maps and inform the public regarding their existence and availability in the Executive Engineer's office for reference and use.

(5) After action under sub-section (3) has been taken, the map shall become the reference record of road infrastructure in the division of the Uttarakhand Public Works Department and shall be known as 'road infrastructure map' of a division.

(6) The occurrence of all prohibited activities within the jurisdiction of the prescribed confirmatory authority may be determined with reference to this road infrastructure map of the concerned division of Uttarakhand Public Works Department.

(7) It shall be open to public to inspect the road infrastructure map of a division and obtain certified copies from the Executive Engineer concerned of the area on payment of prescribed fee.

(8) For control of land along highways and for removal of encroachments, the Government shall demarcate and enforce building lines and control lines on the private lands beyond the right way of the road.

Duties of Inspector

5 It shall be the duty of the prescribed authority or Work Inspector, as the case may be to ensure that no activity prohibited under section 3 of the Act occurs within his jurisdiction.

Display of Prohibited Activities

6 (1) On noting the occurrence of any activity prohibited under section 3, the prescribed authority shall issue an order directing the defaulter to stop forthwith the prohibited activity and where necessary, order the restoration of status quo of the road infrastructure.

(2) An order of the prescribed authority under sub-section (1) shall clearly describe in writing the prohibited activity and also indicate by way of sketch, the location of the occurrence of prohibited activity on a relevant portion of the map and the extent of such activity and the damage already caused or being caused.

(3) The prescribed authority shall also direct the defaulter to restore the status of the road infrastructure to its original position within a specified period of time by starting the process of restoration within 3 days from the issue of notice and complete the same within the allowed time.

(4) The prescribed authority shall indicate specifically that in the event of failure to comply with any direction or order

passed under this section, steps shall be taken to restore the status quo at the risk and cost of the defaulter, in addition to the restoration cost to be imposed. The expenditure so incurred shall liable to be recovered as arrears of land revenue and the prescribed authority shall confiscate to the Government and sell the dismantled property used in the commission of a prohibited activity in the prescribed manner.

(5) The service of notice shall be effected in the manner as provided in Code of Civil Procedure, 1908.

(6) Any order passed under this section shall not be liable to be challenged in any civil court on any ground whatsoever.

Imposition of Punishment

7. Save as provided in section 11 of this Act, the prescribed authority shall impound vehicles/machinery/goods abandoned on road infrastructure and in addition to the cost of removal, impose a penalty which may extend upto **Twenty Thousand Rupees** but shall not less than five thousand Rupees for the period during which the vehicles / machinery / goods remain in the custody of the prescribed authority:

Provided that if an impounded vehicle / machinery / goods remain in the custody of the prescribed authority for a period more than 10 days, the confirmatory authority shall take action under sections 25, 26 and 27 of the Indian Police Act, 1861 for disposal of abandoned property.

Hearing on objection

8. The aggrieved party may file objections, against the order issued by the prescribed authority, to the confirmatory authority within a period of 15 days from the service of said order and confirmatory authority shall thereafter shall afford an opportunity to the aggrieved party to be heard in person and thereafter shall pass an order within a period of 30 days confirming or setting aside the order passed by the prescribed authority through a self speaking and reasoned order.

Appeal

9. (1) No appeal shall be entertained against any order passed by the confirmatory authority, unless, the appeal is filed within 30 days from the passing of order by the confirmatory authority:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period specified under this section, if the appellant satisfies the appellate authority that he has sufficient cause for not preferring appeal within that period:

Provided further that the appellant, while filing the appeal against such order, shall deposit 50% of the anticipated restoration cost as assessed by the department.

(2) The appellate authority shall, within 30 days of the filing of the appeal, pass an order confirming or setting aside the order passed by the confirmatory authority.

Appellate authority

10 (1) Any person aggrieved by an order passed in appeal by the appellate authority under section 9 may, within 30 days of communication of such order, make an application to the Government seeking revision.

(2) The revisional authority shall within 30 days of the filing of revision application against the order of the appellate authority pass an order confirming or setting aside the order of the appellate authority. The Government shall not pass an order under this section prejudicial to any person without giving such person a reasonable opportunity of being heard.

Fees

11 (1) The prescribed authority may order any person, who has indulged in a prohibited activity as referred to in clauses (ii), (iii) and (viii) of section 3 to restore road infrastructure to its original state and if such person fails to start the restoration work within a period of 7 days from the date of passing of such order and completing it within the time allowed, the prescribed authority shall take such measures as may appear to him to be necessary, to give effect to the orders at the cost of the defaulter.

(2) If a person contravenes or fail to comply with, any provisions of this Act or any order made under sub-section (1), the prescribed authority may, after giving a reasonable opportunity of being heard, direct such person to pay, by way of restoration fee, in addition to the cost of restoration of road infrastructure –

(i) for contravention of any prohibited activities as referred to in clauses (ii), (iv), (v), (vii), (ix), (xi), (xvi) and (xvii) of section 3, an amount which shall be five times of the restoration cost;

(ii) for contravention of prohibited activities as referred to in clause (vi) of section 3, an amount @ one thousand rupees per cubic meter or part thereof per day in respect of excavated earth/debris and @ Two thousand rupees per truck load or part thereof per day in respect to stacked material;

(iii) for contravention of prohibited activities as referred to in clause (xii) of section 3, a amount @ one Thousand rupees per square meter per week till the time such act continues;

(iv) for contravention of the prohibited activities as referred to in clause(xiv) of section 3, an amount @ five hundred rupees per running meter of the erection per day till the time the act continues; and

(v) for contravention of the prohibited activities as referred to in clause (xiii) or (xv) of section 3, an amount @ five times the cost of removal.

Explanation: (1) All removation costs and fees payable under the provisions of this section shall be deposited with the prescribed authority within Ten days, failing which it shall be recovered as arrears of land revenue with interest commencing from the day following the last day allowed for deposit.

(2) Cost of removal/removation shall be determined as per the current schedule of rates of Uttarakhand Public Works Department.

Cognizance of offence 12

(1) Any person who commits any act prohibited under section 3 or fails to perform their duties assigned under section 5 of this Act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or fine, or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence punishable under sub-section (1) against any person, unless a complaint in writing is made by public servant authorised by the Government, by notification, in the Official Gazette.

Trial of offence 13

No court inferior to that of a magistrate of the first class shall be competent to try any offence punishable under this act.

Consumption of Facilities 14

Every person who intends to have the following facilities, namely:

(i) an approach to private property from the road infrastructure;

(ii) laying of service such as pipeline, sewerage line, electrical cables, telephone cables etc. either along or across the road or bridge;

(iii) mining activities within 50 metres from either side of existing road or 500 metres upstream or downstream of a bridge;

(iv) carrying out any private or commercial activity within the acquired and controlled area;

(v) display of hoardings within the acquired and controlled area;

(vi) installation of hand pumps within the acquired and controlled area;

(vii) parking of accidental vehicles/machinery on the road upto 48 hours; and

(viii) temporary stacking of materials/goods on the road for a period not exceeding 48 hours, shall apply for permission in writing to the Executive Engineer-in-charge of the road infrastructure within his jurisdiction in respect of facility under clauses (i) to (vi) above and to the Junior Engineer-in-charge in respect of facility under clauses (vii) and (viii) of this section and every such application for permission shall be in the prescribed manner:

Provided that failure to comply with the requirements as contained under this section, shall be liable to pay cost/fee as per provision of section11 of this Act:

Provided further that the facilities as contained in this section shall be provided by the department as a deposit work for the beneficiary.

Trial of Suit

15 The confirmatory authority/prescribed authority shall, for the purpose of performing any function under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 when trying a suit in respect of the following matters, namely: -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents; and

(c) any other matter which may be prescribed.

Bar of suit

16 No suit or prosecution shall be entertained against the prescribed authority or any other officer of the department authorized under this act acting under the order or direction of superior authority of the department, for anything, which is done by him in good faith or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Jurisdiction

17 No civil court shall have any jurisdiction to entertain or to decide any question relating to matter falling under this Act or the rules made thereunder.

Departmental Custody	18	All the road infrastructure shall be deemed to be in the custody of the department on behalf of Government, as soon as it comes into existence.
Power to be confer to the bodies	19	The Government may, by notification, in the Official Gazette, empower Municipal Corporation, Municipalities, Nagar Panchayats and Development Authorities within the State of UTTARAKHAND to exercise such powers and perform such functions, as may be specified in the notification under this Act, in respect of road infrastructure within their jurisdiction.
Power to Make Rule	20	(1) The State Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely: - (a) the form of any notice required or authorized to be given under this Act and the manner in which it may be served; (b) the conduct of proceedings under this Act; (c) the distribution and allocation of work to prescribed authority and transfer of any proceeding pending before a prescribed authority to another prescribed authority; (d) the manner in which the damage resulting from acts of prohibited activities may be assessed and the principles which may be taken into account in assessing such damages; (e) the manner of the laying out of means of access to road infrastructure; (f) the manner in which permission under this Act, may be granted or refused and fees to be charged; and (g) any other matter, which may be prescribed. (3) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication. (4) All rules made under this section shall be laid before the Legislative Assembly, as soon as they are framed.

By Order,

K.D. BHATT,
Principal Secretary

शि०प०सा० (अ०वि०) 17 विधायी / 288-2014-100-800 (अंग्रेजी/हिन्दी)।

डाक संख्या–15

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०डी०/डी०डी०एन०–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 27 जनवरी, 2014 ई0

माघ 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 35/XXXVI(3)/2014/01(1)/2014

देहरादून, 27 जनवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014"** पर दिनांक 27 जनवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

I.T.
Up Loaded

उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2014
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–02 वर्ष 2014)

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1945) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम,1945(अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1945) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), की धारा 3 की उपधारा (1) उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी सड़क की लम्बाई अथवा सम्पूर्ण सड़क को 'अनुसूचित सड़क' घोषित कर सकेगी और सड़क भूमि के किनारे से जैसा विहित किया जाये, पांच मीटर की किसी क्षैतिज दूरी तक की ऐसी अनुसूचित सड़क 'नियंत्रित क्षेत्र' होगी।"

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।

No. 35/XXXVI(3)/2014/01(1)/2014
Dated Dehradun, January 27, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Roadside Land Control (Amendment) Act, 2014'** (Adhiniyam Sankhya 02 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 27 January, 2014.

The Uttarakhand Roadside Land Control (Amendment) Act, 2014
(Uttarakhand Act No. 02 of 2014)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Roadside Land Control Act, 1945 (Act No. 10 of 1945) (as the applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Roadside Land Control (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 3

2. In place of sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Roadside Land Control Act, 1945 (Act No. 10 of 1945) (as applicable to the State of Uttarakhand), the following sub-section shall be substituted namely:--

"(1) The Government may, by notification, in the official Gazette declare any length or the whole of any road to be a "schedule road" and the area upto a horizontal distance of five meters as prescribed from the edge of the road-land on either of such scheduled road to be a "controlled area."

By Order,

K.D. BHATT,
Principal Secretary.

मीएसप्रेस (आरएफ०) 04 विधायी / 122-2014-100+500 (कम्प्यूटर / रीजिस्ट्री)।

THE UTTARAKHAND ROAD INFRASTRUCTURE PROTECTION ACT, 2014 (ACT No. 15 of 2014)

An Act

- to provide for prevention of misuse, damage, unauthorized use and encroachment of Road Infrastructure.

Controlled Area

- The Government may declare any length or the whole of any road to be a "schedule road"
- The area upto **a Horizontal Distance of 5.00 meters** as prescribed from the edge of the road-land on either of such scheduled road to be a "controlled area."

Road infrastructure

- The roads, paths and streets for transport or communication and shall include : -
  - acquired road land width;
  - all types of roads, bridges and their ancillary structure.

Road Infrastructure Map

The Map shall be :-

- Prepared by Executive Engineer on a scale of **1:500** showing important landmarks fixed by the Revenue Department including control lines along the road infrastructure.
- Used as reference **for identification and demarcation** of the road infrastructure & for **removal** of **encroachments.**
- Approved by the **Chief Engineer in-charge of the Zone** .
- known as **'road infrastructure map'** of a division.

Prescribed Authority

- Any authority not below the rank of **Junior Engineer** of Uttrakhand P W D .
- To ensure that no prohibited activities occurs within his jurisdiction.
- On noting the occurrence of any prohibited activity,shall issue an order directing the defaulter to stop forthwith the prohibited activity & where necessary, order the restoration of status quo of the road infrastructure.
- Order shall clearly describe in writing, the prohibited activity and also indicated by way of sketch, the location & the damage already caused or being caused.
- In the event of failure to comply with any direction or order passed, steps shall be taken to restore the status quo at the risk and cost of the defaulter, in addition to the restoration cost to be imposed.
- Confirmatory Authority
- Any authority not below the rank of **Executive Engineer** of Uttrakhand P W D.
- The Confirmatory Authority shall, after giving a reasonable opportunity to be heard, thereafter shall pass a self speaking and reasoned order , within a period of 30 days.
- Appellate Authority
- **Chief Engineer in-charge of the zone** of Uttrakhand P W D.
- The appellate authority shall, within 30 days of the filing of the appeal, pass an order confirming or setting aside the order passed by the confirmatory authority.

Revisional Authority

- **Secretary (Public Works Department)** to the Government of Uttrakhand.
- The Revisional authority shall, after giving a reasonable opportunity to be heard, pass an order confirming or setting aside the order of the Appellate authority,within 30 day.

Consumption of Facilities

- The facilities shall be provided by the department as a deposit work for the beneficiary.

Facilities	Permission
an approach to private property from the road infrastructure;	Executive Engineer
laying of service such as pipeline, sewerage line, electrical cables, telephone cables etc. either along or across the road or bridge;	Executive Engineer
mining activities within 50 metres from either side of existing road or 500 metres upstream or downstream of a bridge;	Executive Engineer
carrying out any private or commercial activity within the acquired and controlled area;	Executive Engineer
display of hoardings within the acquired and controlled area;	Executive Engineer
installation of hand pumps within the acquired and controlled area;	Executive Engineer
parking of accidental vehicles/machinery on the road upto 48 hours; and	Junior Engineer
temporary stacking of materials/goods on the road for a period not exceeding 48 hours.	Junior Engineer

Offence & Penalty

No person shall –

- encroach upon the Government land under road infrastructure;
- raise any permanent, temporary or movable structure on or from road infrastructure;
- misuse a road by erecting workshop and carrying out commercial activity including tethering of livestock in road infrastructure;
- block/damage roadside drain and cross drainage system;
- divert sullage /muck from private properties to the road;
- stack/throw excavated earth/debris on roads and unauthorisedly stack material on roads;
- dig/damage road infrastructure without permission from competent authority;
- un-authorisedly install hand pumps and petrol pumps;
- damage/deface bridges, road over bridges, flyovers and under-passes including approaches, tunnels and their ancillary structures.
- park accidental or condemned or serviceable or unserviceable vehicles or goods/machinery on the road.
- damage/uproot roadside plantation, nurseries, hedges and other landscape items
- un-authorisedly display of hoardings and erect welcome gates arches etc;
- commit an act prohibited under the UTTARACHAL Prevention of Defacement of Public Property Act, 2003;
- commit any act of omission or commission that may be notified by the Government under this section as injurious to the road infrastructures;
- damage road infrastructure due to mining in the area;
- erect or construct any structure in the controlled area.

Penalties-

Prohibited Activities (Offence)	Penalty
Stack/throw excavated earth/debri on roads.	An amount @ one thousand rupees per cubic meter or part thereof per day in respect of excavated earth/debris .
unauthorisedly stack material on roads.	An amount @ Two thousand rupees per truck load or part thereof per day in respect to stacked material.
un-authorisedly display of hoardings;	An amount @ one Thousand rupees per square meter per week till the time such act continues.
un-authorisedly erect welcome gates, arches etc;	An amount @ five hundred rupees per running meter of the erection per day till the time the act continues.
Impound vehicles/machinery/goods abandoned on road infrastructure.	In addition to the cost of removal, impose a penalty which may extend upto **Twenty Thousand Rupees** but shall not less than **Five Thousand Rupees** for the period during which the vehicles / machinery / goods remain in the custody.

- An amount which shall be five times cost of restoration/ removal;
- Cost of removal/restoration shall be determined as per the current schedule of rates of Uttrakhand Public Works Department.
- Any person who commits any act prohibited under section 3 or fails to perform their duties assigned under section 5 of this Act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or fine, or with both.

Power to be confer to the bodies

- The Government may, by notification, in the Official Gazette, empower officer of Municipal Corporation, Municipalities, Nagar Panchayats and Development Authorities within the State of UTTRAKHAND to exercise such powers and perform such functions, as may be specified in the notification under this Act, in respect of road infrastructure within their jurisdiction.

Government of Uttarakhand
Public Works Department

Uttarakhand Road Infrastructure Protection Rules, 2023

In exercise of the powers conferred by section 20 of the Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014, the Governor of Uttarakhand hereby makes the following Rules, namely:-

1. **Short Title and Commencement -** (1)These rules will be called the Uttarakhand Road Infrastructure Protection Rules, 2023
   (2) They shall come into force on the date on which the rules shall come into force.
2. **Definitions-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Act" means the Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014 (Act15 of 2014);
   (b) "Form" means a form appended to these rules;
   (c) "Motor vehicle" means any mechanically propelled vehicle adapted for use upon roads whether the power of propulsion is transmitted thereto from an external or internal source and includes a chassis to which a body has not been attached and a trailer and shall also include bullock cart etc.; but does not include a vehicle running upon fixed rails; and
   (d) "Section" means a section of the Act;
   (2) Words and expressions used in these rules which are not defined in this rules but are defined in the act shall have the same meanings assigned to them in the Act.
3. **Procedure for preparation of road infrastructure map**:- (1) The Executive Engineer concerned along with revenue staff shall fix different building lines, control line, controlled area and acquired land area of the road infrastructure within his jurisdiction and shall prepare a map as required under sub sections (1) and (2) of section 4, which shall be signed jointly by the Executive Engineer and the Additional/ Assistant Collector of Revenue Department.
   (2) Upon finalization of road infrastructure map by the Executive Engineer concerned, the same shall be forwarded to the Chief Engineer in charge of the Zone concerned of the department within fifteen days for his approval.
   (3) After the approval of the road infrastructure map by the Chief Engineer in charge of the Zone concerned the same shall be forwarded to the Government for inviting objection(s) or suggestions(s) from general public through notice published in the Rajpatra, Uttarakhand. If no objections(s) or suggestion(s) is received within 30 days from the date of its publication in the Rajpatra, the same shall be deemed to have become final.
   (4) If any objections(s) or suggestion(s) is (are) received from general public the same shall be considered by the Chief Engineer in charge of the Zone concerned and after adjudication upon the objection(s) or suggestion(s), road infrastructure map shall be finalized and this information shall also be made public through notice in the news paper having wide circulation and Rajpatra, Uttarakhand. In case of further addition and alternation in the Road Infrastructure map by the Executive Engineer, the entire procedure as prescribed under sub rules (1) to (3) of this rule shall be followed again.
   (5) After finalization of road infrastructure map, the same shall remain available in the office of Executive Engineer concerned as a reference record and the copy of same shall be supplied by the Executive Engineer to the Work Inspector and the prescribed authority

having respective jurisdiction free of cost in order to check contravention of section 3 and also granting facility under section 14 to the persons applying for the same.

(6) Any person by making an application may obtain certified copy of the road infrastructure map on payment of fee at the rate of Twenty five rupees per page of paper of the size of A-2 from Executive Engineer concerned and may also inspect the same in the concerned division on payment of inspection fee at the rate of ten rupees per hour against proper receipt in form-IV, which shall be deposited in the Government Treasury by the Executive Engineer under receipt head of account of Government of Uttarakhand.

(A). **Maintenance of Road land Infrastructure records-** (1) Executive Engineer shall maintain a register to be called the Road Land Infrastructure Register in the form specified in the Form V in which all the particulars of the land situated within the jurisdiction of the Executive Engineer of which the Government is the owner under section 2(p),2(q)(i) shall be entered.

(2) In addition to the Road Land Infrastructure Register specified in sub-rule (1), every Executive Engineer shall maintain a record containing all the particulars of the land situated within the jurisdiction of the Executive Engineer of which the Government is the owner, in the form specified in the Form V in electronic mode to be called as the Electronic Road Land Infrastructure Register.

(B) **Claim for correction of records-** (1) Any person claiming against the ownership of the Government referred to in section 2(p),2(q)(i) and desirous of getting a correction carried out in the Road Land Infrastructure Register, shall make written complaint to the Executive Engineer or the Senior officer, as the case may be and prove his claim before him and such officer or senior officer, as the case may be, may after considering the evidence produced by such person order to correct the concerned entry in the Register or reject the claim.

(2) Where the officer or the senior officer, as the case may be, orders to correct any entry in the Road Land Infrastructure Register, such correction shall be made in that Register by the concerned official of the Executive Engineer and it shall also be signed by such official and countersigned in red ink by the officer or the Senior Officer, as the case may be, within 7 days from the date of the order.

4. **Procedure for conduct of Proceeding.**-(1) On noting the occurrence of any prohibited act on road infrastructure under section 3 by the work inspector or prescribed authority, as the case may be, notice in Form-I and II, as the case may be, shall be issued by the work inspector or the prescribed authority to the defaulter in person or in his absence upon any adult male member of the family to stop forthwith the prohibited act on road infrastructure an order the restoration of status quo of the road infrastructure within three days. The Work inspector or prescribed authority shall be competent to issue notice to the defaulter for following prohibited acts on road infrastructure namely:-

(a) Work Inspector shall be competent to issue notice only for violation of prohibited acts on road infrastructure as provided under clause (iv), (v), (vi), (x), (xi), (xii) and (xiv) of section 3.

(b) Prescribed authority shall be competent to issue notice for contravention of all prohibited acts on road infrastructure as provided under sections 3 and 7 for the removal of abandoned Motor vehicle or machinery or goods, as the case may be, on road infrastructure lying abandoned thereon and shall also impound the same and keep the same in the store of Division or Sub-Division of the department. The prescribed authority shall also recover the cost of removal as well as penalty as specified under section 7.

(c) Such notice or bill may be served on the person concerned or presented to him by a messenger handling over a copy thereof or obtaining his signature on another copy thereof;

(d) In case the service or presentation of such notice or bill is not easily possible under clause (c), then, such notice or bill shall be sent to the person concerned by registered post or speed post at his known residence and the delivery of such registered post to such person shall be the service on or presentation to him on such notice or bill, as the case may be and in case he refuses to receive such registered post or speed post, the remarks of such refusal by a post office official on the registered post shall be deemed to be the service on, or presentation to such person of such notice or bill, as the case may be;

(e) In case the service or presentation of such notice or bill is not physically possible under clause (c) and (d), then, the contents of such notice or bill shall be published in a newspaper having circulation in the locality where the person concerned actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain and such publication shall be deemed to be the service of such notice or bill, as the case may be, on such person or presentation thereof to him.

(2) If after the issue of notice by the prescribed authority under clause (b) of sub-rule (1) of this rule, the aggrieved party files objection(s), the prescribed authority before passing final order shall give him a reasonable opportunity of being heard and shall pass order for the imposition of penalty with costs as specified under sub-section(2) of section 11, as the case may be.

(3) After the expiry of ten days, if the impounded Motor Vehicle, Machinery or goods, as the case may be, remains impounded with Prescribed Authority without payment of fine and cost of removal under section 7, the prescribed authority shall forward the matter to the confirmatory authority, who shall take action under sections 25, 26 and 27 of the Indian Police Act, 1861 within fifteen days for disposal of the abandoned property.

(4) The order passed by Work Inspector or prescribed authority shall be sent by him to the confirmatory authority either on the same day or the next day positively for its confirmation and the order, if, confirmed shall be final.

(5) If the Work Inspector or the prescribed authority both fails to take action as specified in clauses (a) and (b) of sub-rule (1) of this rule for contravention of any prohibited acts under the Act and for providing facility under section 14, the confirmatory authority shall report the matter to the Chief Engineer of the Zone concerned within seven days from the date of his knowledge for not taking action under section 5.

(6) Before sending the matter to the Chief Engineer in charge of the Zone concerned, the confirmatory authority shall exercise the powers vested in Work Inspector and prescribed authority under clauses (a) and (b) of sub-rule (1) of this rule and itself issue the notice to the defaulter in form-II for contravention of prohibited acts and also take action for providing facility under section 14 and only thereafter, it shall forward the case to the Chief Engineer of the Zone concerned.

5. **Procedure for recovery of cost and penalty-** (1) In case of default, recovery of the cost and penalty, the prescribed authority shall determine the cost and penalty recoverable, as per the provisions of clauses (1) and (2) of section (2) of section 11, which shall be recovered by the confirmatory authority by making a request to the concerned Collector to recover the same as arrears of Land Revenue Recovery.

   (2) The proceeds received under the Act on account of costs, penalty and fee shall be deposited in the Government Treasury by the confirmatory authority under receipt head of account of Government of Uttarakhand.

6. **Interpretation** – If any question arises relating to the implementation of these rules, the same shall be referred to the Government for its decision and the decision of the Government shall be implemented.

7. **Redressal of grievance** – The Government may issue guidelines to redress the grievances which shall be effective from the date of its issue.

8. **Power to relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules.

FORM-I

(See rule 4(1)(a)

(Notice to be issued (in duplicate) by the Work Inspector under clause(a) of sub- rule (1) of rule 4 of the Uttarakhand Road Infrastructure Protection Rules, 2023)

To…..

(Name of the defaulting person with permanent address)

Subject: Notice under rule (4)(1)(a) of Uttarakhand Road Infrastructure Protection Rules, 2023 for contravention of prohibited acts on road infrastructure as provided under section 3 of the Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014.

Sir/Madam,

It has come to notice that on Road infrastructure belonging to the Government of Uttarakhand, as per enclosed sketch, you are carrying on prohibited activities on a portion of road which has caused damage or is likely to cause further damage to the Road Infrastructure at chainage -- ---------- of road (name) ----------. The said activity is prohibited under section 3 of the Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014.

Hence, by way of present notice under section 5 of the Act the undersigned being competent to do so, hereby, directs you to stop the said prohibited activity at once. You are, further directed to start within three days of the receipt of this notice the process of restoration of the damage so caused and complete the same within one week. Failing which the work of restoration of status quo ante shall be initiated by the department at your risk and cost alongwith restoration cost so imposed by the confirmatory authority as per provisions of sub-section (4) of section 6 of the Act.

WORK INSPECTOR
(Complete Designation)

Place:
Time:
Date:
Copy forwarded for information and further necessary action to:

1. Prescribed Authority, Incharge of the section.
2. Executive Engineer (Confirmatory Authority)

WORK INSPECTOR

FORM-II

(See rule 4(1)(b)

(Notice to be issued (in duplicate) by the Prescribed Authority under clause(b) of sub-rule (1) of Rule 4 of Uttarakhand Road Infrastructure Protection Rules, 2023)

To,

(Name of the defaulting person with permanent address)

Subject: Notice under sub rule (4)(1)(b) of Uttarakhand Road Infrastructure Protection Rules, 2023 for contravention of prohibited acts on road infrastructure as provided undersection 3 of the Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act,2014.

Sir/Madam,

It has come to the notice that on Road infrastructure belonging to the Government of Uttarakhand, as per enclosed sketch, you are carrying on work of _____ on the portion of road which has caused damage or is likely to cause further damage to the Road Infrastructure at chainage _____ of road (name) _____.The said activity is prohibited under(_____) section 3 of the Uttarakhand Road infrastructure Protection Act, 2014.

Hence, the undersigned in exercising of the powers vested in him under section 5 of the Act, issues the present notice to you with the direction to stop the said prohibited activity at once. You are, further directed to start within three days from the date of receipt of this notice the process of restoration of the damage caused to the road infrastructure and complete the same within one week. Failing which, the work of restoration of status quo ante shall be initiated by the department at your risk and cost alongwith restoration cost so imposed by the confirmatory authority as per the provisions of sub-section (4) of section 6 of the Act.

Please acknowledge the receipt.

Prescribed Authority
(Complete Designation)

Place:
Time:
Date:

Copy forwarded for information and further necessary action to:

1. Executive Engineer (Confirmatory Authority)

Prescribed Authority
(Complete Designation)

FORM-III

(See rule 3(5)

APPLICATION UNDER RULE 3(5) OF UTTARAKHAND ROAD INFRASTRUCTURE PROTECTION RULES, 2023 FOR PERMISSION TO AVAIL FACILITY WITH RESPECT TO ROAD INFRASTRUCTURE AS PROVIDED UNDER SECTION 14 OF THE ACT)

To

The Executive Engineer.

_____

_____

Subject: Application under rule 3(5) for permission to avail facility as provided under section 14 of Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014.

1. Name of the person seeking permission:
2. Father's Name:
3. Address:
4. Facility to be availed:
5. a) if approach road then sanction letter of the house construction of the competent Authority/Department.
   b) If any other facility as specified under clause (ii) to (vi) of section 14 is sought then complete map in the sketch may be annexed.
6. Description enclosure.
7. Any other information.
8. Whether previously such permission has been sought or not? If yes its date:
9. Amount of the work so deposited in the department alongwith copy of receipt.

.....

I, _____ do hereby solemnly affirm that the particulars alongwith documents in the above form so given by me are true and correct. No part of it is wrong and nothing has been concealed in it. I, further declare that in case of failure to comply with the requirement (s) as required from me, the same amount as per the provisions of section-11 of Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014 may be recovered from me.

(Signature of the Applicant)

Place:

Time:

Date:

FORM-IV
See rule- 3(6)

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND PUBLIC WORKS DEPARTMENT	GOVERNMENT OF UTTARAKHAND PUBLIC WORKS DEPARTMENT
DIVISION..... SUB-DIVISION ..... Book No. No..... Dated..... Received from .... rupees .....on account of..... .... Dated initial of cashier or Accountant Dated initial of official granting receipt	RECEIPT FOR PAYMENT TO GOVERNMENT Book No. NO. Place DIVISION.....SUB-DIVISION.....Dated..... Received from..... .... rupees .... on account of..... .... Cashier or Accountant Signature Designation

FORM-V

[See Rule 3A(1)]

Road Land Infrastructure Register

Name of Road. .....

K.M. No. .....

District of .....

S.No	Name of Tehsil/Sub-Division	Name of Village/Mohalla	Plot No./Khasra No.	Area of the Land in (hectares)
1	2	3	4	5

Note- Information is to be maintained kilometer-wise in this register.

FORM-VI

[See Rule 4]

Bill for recovery of cost of removal of unauthorized occupation and fine imposed

1. Name of person to whom the
   Bill is to be served
2. Father's Name
3. Address (with telephone No.)
4. Location of unauthorized occupation with
   Road Name and kilometrage.
5. Expenditure incurred (in rupees) in removing unauthorized occupation/in
   Making construction including alteration of construction/in repairing damage
   Additional Charge
   Fine imposed

Total

Signature of the officer issuing the bill
Seal

Place .....
Date .....

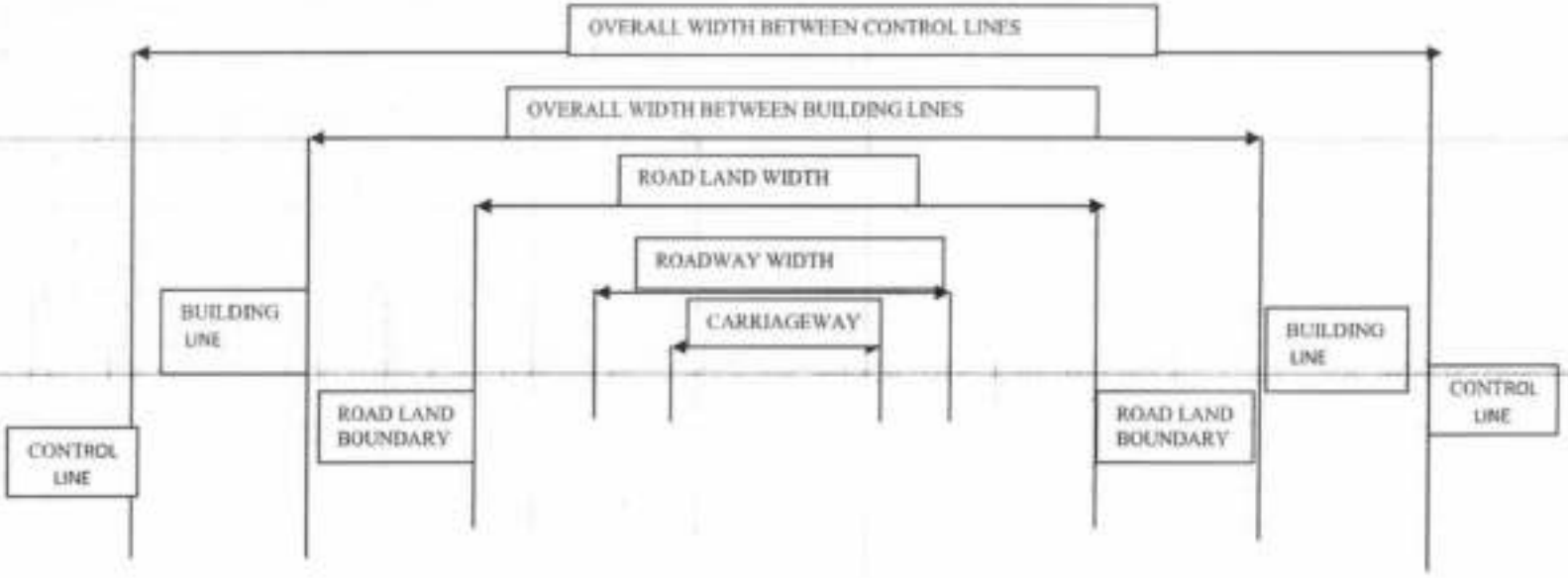
OVERALL WIDTH BETWEEN CONTROL LINES
OVERALL WIDTH BETWEEN BUILDING LINES
ROAD LAND WIDTH
ROADWAY WIDTH
CARRIAGEWAY
BUILDING LINE
BUILDING LINE
CONTROL LINE
CONTROL LINE
ROAD LAND BOUNDARY
ROAD LAND BOUNDARY

उत्तराखण्ड सरकार

लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा नियम, 2023

उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का नाम उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा नियम, 2023 होगा।

(2) ये नियम इनके प्रवृत्त होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** –(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम 15) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रपत्र" से इन नियमों के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ग) "मोटर वाहन" से सड़क पर उपयोग हेतु यांत्रिक रूप से चालित कोई भी वाहन अभिप्रेत है चाहे उसमें चालन शक्ति वाह्य रूप से पारेषित होती हो अथवा आंतरिक रूप से, इसमें ट्रेलर व ऐसी चेसिस भी सम्मिलित है जिस पर कोई भाग संलग्न नहीं किया गया है, साथ ही इसमें बैल–गाड़ी इत्यादि भी सम्मिलित है, लेकिन इसमें स्थिर रेल्स के साथ चलने वाला वाहन सम्मिलित नहीं है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) "अधिकारी" से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में संदर्भित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "वरिष्ठ अधिकारी" से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में संदर्भित कोई अधिकारी अभिप्रेत है; और

(ज) "राजपत्र" से उत्तराखण्ड का शासकीय राजपत्र अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम में दिया गया है।

3. **सड़क संरचना मानचित्र की तैयारी हेतु प्रकिया:–** (1) संबंधित अधिशासी अभियंता राजस्व विभाग के साथ मिलकर अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विभिन्न भवन लाईन्स, नियंत्रित लाईन, नियंत्रित क्षेत्र और सड़क संरचना के अधिग्रहित भूमि क्षेत्र तय करेगा तथा अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) व (2) के अधीन अपेक्षित 1:500 के पैमाने पर मानचित्र तैयार करेगा, जिस पर अधिशासी अभियंता और राजस्व विभाग के सहायक कलक्टर द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(2) संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा सड़क संरचना मानचित्र को अंतिम रूप प्रदान कर दिए जाने के पश्चात पन्द्रह दिन के भीतर इसे विभाग के संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता प्रभारी के पास उसके अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

(3) संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता (प्रभारी) द्वारा सड़क संरचना मानचित्र के अनुमोदन के पश्चात इसे उत्तराखण्ड में व्यापक प्रसार वाले हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित न्यूनतम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस के माध्यम से जन–सामान्य से आपत्ति(यां) व सुझाव(वों) को आमंत्रित करने के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। यदि इसके प्रकाशन की तिथि से साठ दिन के भीतर कोई आपत्ति(यां) अथवा सुझाव (वों) प्राप्त नहीं होते हैं तो इसे अन्तिम रूप प्राप्त हुआ समझा जाएगा।

(4) यदि जन–सामान्य से कोई आपत्ति(यां) अथवा सुझाव (वों) प्राप्त होते हैं तो सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा और आपत्ति(यों) अथवा सुझाव (वों) पर न्यायनिर्णयन के पश्चात सड़क संरचना मानचित्र को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा तथा इसकी सूचना व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों व उत्तराखण्ड के राजपत्र में नोटिस के माध्यम से सार्वजनिक भी की जाएगी। अधिशासी अभियंता द्वारा सड़क संरचना मानचित्र में किसी परिवर्धन अथवा परिवर्तन किए जाने की स्थिति में इस नियम के उपनियम (1)से (3) के अधीन निर्धारित किए गए अनुसार समस्त प्रकिया पुनः अपनायी जाएगी।

(5) सड़क संरचना मानचित्र को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के पश्चात यह संदर्भ अभिलेख के रूप में संबंधित अधिशासी अभियंता के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा तथा अधिनियम की धारा 3 और धारा 7 का उल्लंघन रोकने के लिए संबंधित कार्यक्षेत्र वाले कार्य निरीक्षक व विहित प्राधिकारी को तथा आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 14 के अधीन सुविधा प्रदान करने हेतु अधिशासी अभियंता द्वारा इसकी प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

(6) कोई भी व्यक्ति आवेदन कर संबंधित अधिशासी अभियंता से ए–2 आकार के पत्र के प्रति पृष्ठ हेतु पच्चीस रुपए की दर से भुगतान कर सड़क संरचना मानचित्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है तथा प्रपत्र IV में समुचित रसीद दे कर दस रुपए प्रति घंटा की दर से निरीक्षण शुल्क जमा कर संबंधित डिविजन में इसका निरीक्षण भी कर सकता है, इस शुल्क को अधिशासी अभियंता द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के लेखा के रसीद शीर्ष के अधीन सरकारी कोषागार में जमा कराया जाएगा।

(क) सड़क भूमि संरचना अभिलेखों का रख–रखाव :– (1) अधिशासी अभियंता प्रपत्र V में विनिर्दिष्ट स्वरूप में सड़क भूमि संरचना रजिस्टर नाम से एक रजिस्टर रखेगा जिसमें अधिशासी अभियंता के कार्यक्षेत्र के भीतर स्थित ऐसी भूमि का विवरण रखा जाएगा जिसका स्वामित्व धारा 2(p), 2(q),(i) के अधीन सरकार के पास है। उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट सड़क भूमि संरचना रजिस्टर के अतिरिक्त प्रत्येक अधिशासी अभियंता अपने कार्यक्षेत्र के भीतर ऐसी भूमि, जिसका स्वामित्व सरकार के पास है, का सम्पूर्ण ब्योरा प्रपत्र V में विनिर्दिष्ट रूप में इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखेगा,, इसे इलेक्ट्रॉनिक सड़क भूमि संरचना रजिस्टर कहा जाएगा।

(2) सड़क भूमि संरचना रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ को कमिक रूप से संख्यांकित किया जाएगा तथा रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर यथास्थिति, अधिकारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी, इस रजिस्टर के पृष्ठों की संख्या का प्रमाणीकरण करेगा तथा वह समय–समय पर

रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उस में की गई प्रविष्टियां सही हैं।

(ख) अभिलेखों को सुधारने हेतु दावा – (1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 2(p), 2(q),(i) में उल्लिखित सरकार के स्वामित्व के विरुद्ध दावा कर रहा है और सड़क भूमि संरचना रजिस्टर में सुधार कराए जाने का इच्छुक है वह यथास्थिति, अधिशासी अभियंता अथवा वरिष्ठ अधिकारी के पास लिखित रूप में शिकायत प्रस्तुत करेगा तथा उसके समक्ष अपना दावा सिद्ध करेगा और यथास्थिति, अधिशासी अभियंता अथवा वरिष्ठ अधिकारी, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टि को सुधार सकता है अथवा दावे को अस्वीकार कर सकता है।

(2) जहां यथास्थिति, अधिकारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी सड़क भूमि संरचना रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को सुधारने का आदेश देता है वहां यह सुधार उस रजिस्टर में अधिशासी अभियंता के संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा उस अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी किये जाएंगे, आदेश की तिथि से 7 दिन के भीतर यथास्थिति, अधिकारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसे लाल स्याही से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

4. **कार्यवाही के संचालन हेतु प्रकिया –** (1) यथास्थिति, कार्य निरीक्षक अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा, धारा 3 के अधीन सड़क संरचना पर किसी प्रतिषिद्ध कृत्य होने की जानकारी मिलने पर यथास्थिति, कार्य निरीक्षक अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा सड़क संरचना पर प्रतिषिद्ध कृत्य को रोकने के लिए यथाशीघ्र व्यतिकमी को व्यक्तिगत रूप से अथवा उसकी अनुपस्थिति में परिवार के किसी वयस्क सदस्य को प्रपत्र I व II में नोटिस जारी किया जाएगा या नामित व्यक्ति सामान्यतया जिस मकान में रहता है अथवा अपना कारोबार चलाता है, उस मकान के बाहरी द्वार पर उस नोटिस की प्रति चिपकाई जाएगी तथा तीन दिन के भीतर सड़क संरचना की यथापूर्व स्थिति बहाल करने का आदेश दिया जाएगा। कार्य निरीक्षक अथवा विहित प्राधिकारी सड़क संरचना पर निम्नलिखित प्रतिषिद्ध कृत्यों पर व्यतिकमी को नोटिस जारी करने के लिए सक्षम होंगे:–

(क) कार्य निरीक्षक केवल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (iv), (v), (vi), (x), (xi), (xii) व (xiv) के अधीन उपबंधित सड़क संरचना पर निषेध के उल्लंघन हेतु नोटिस जारी करने के लिए ही सक्षम होगा।

(ख) विहित प्राधिकारी अधिनियम की धारा 3 और 7 के अधीन उपबंधित सड़क संरचना पर प्रतिषिद्ध सभी कृत्यों के उल्लंघन, यथास्थिति, परित्यक्त मोटर वाहन अथवा सड़क संरचना पर छोड़े पड़े मशीनरी या सामान को हटाने के लिए नोटिस जारी करने हेतु सक्षम होगा तथा ऐसे सामान को परिबद्ध भी करेगा और उसे विभाग की डिविजन अथवा सब–डिविजन में स्टोर में रखेगा। विहित प्राधिकारी उक्त सामान को हटाने पर हुए व्यय और अधिनियम की धारा 7 के अधीन, प्रपत्र–6 में, विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार दंड की वसूली भी करेगा।

(ग) यह नोटिस अथवा देयक संबंधित व्यक्ति को तामील किया जाएगा अथवा संदेशवाहक द्वारा नोटिस की एक प्रति उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी या दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

(घ) यदि ऐसे नोटिस अथवा देयक को खण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत या जारी कर पाना सरलता से संभव न हो तो यह नोटिस अथवा देयक उस व्यक्ति के ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा तथा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा की गई ऐसी सुपुर्दगी उस व्यक्ति को नोटिस अथवा देयक का यथास्थिति, तामील अथवा प्रस्तुत किया जाना होगा और यदि वह रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट को प्राप्त करने से इन्कार करता है तो रजिस्टर्ड पोस्ट पर पोस्ट ऑफिस कर्मचारी द्वारा ऐसे इन्कार की टिप्पणी को उस व्यक्ति को नोटिस अथवा देयक का यथास्थिति, तामील अथवा प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा।

(ङ) यदि खण्ड (ग) और (घ) के अधीन ऐसे नोटिस अथवा देयक की तामीली या प्रस्तुति संभव नहीं है तो उस नोटिस अथवा देयक की विषय–वस्तु को उस इलाके, जिसमें संबंधित व्यक्ति वास्तविक रूप से अथवा स्वेच्छा से रहता हो या कारोबार करता

हो या किसी प्राप्ति हेतु कार्यरत हो, में व्यापक प्रसार वाले समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जायेगा तथा ऐसा प्रकाशन उस व्यक्ति को नोटिस अथवा देयक का यथास्थिति, तामील अथवा प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा।

(2) यदि इस नियम के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन विहित अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के पश्चात व्यथित पक्ष आपत्ति (यां) दर्ज कराता है तो विहित अधिकारी अंतिम आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा तथा यथास्थिति, अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप में लागत के साथ दंड लगाए जाने हेतु आदेश पारित करेगा।

(3) दस दिन समाप्त हो जाने पर यदि यथास्थिति, परिबद्ध मोटर वाहन, मशीनरी या सामान, अधिनियम की धारा 7 के अधीन जुर्माना और सामान हटाने की लागत का भुगतान किये बिना विहित प्राधिकारी के पास परिबद्ध रहता है तो विहित प्राधिकारी इस मामले को पुष्टिकारी प्राधिकारी के पास भेजेगा, जो उक्त परित्यक्त संपत्ति के निपटान हेतु पंद्रह दिन के भीतर भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 25, 26 व 27 के अधीन कार्रवाई करेगा।

(4) कार्य निरीक्षक अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को उसकी पुष्टि हेतु या तो उसी कार्य दिवस को अथवा अगले कार्य दिवस को निश्चित रूप से पुष्टिकारी प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा और यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो आदेश अंतिम होगा।

(5) यदि कार्य निरीक्षक अथवा विहित प्राधिकारी दोनों, अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध किसी कृत्य के उल्लंघन के लिए इस नियम के उप–नियम (1) के खण्ड (क) व (ख) में विर्निर्दिष्ट कार्रवाई करने तथा धारा 14 के अधीन सुविधा प्रदान करने में असफल रहते हैं तो पुष्टिकारी प्राधिकारी, इस जानकारी के संज्ञान में आने की तिथि से सात दिन के भीतर अधिनियम की धारा 5 के अधीन कार्रवाई न किए जाने के इस मामले की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता प्रभारी के पास करेगा।

(6) संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता प्रभारी के पास मामले को भेजे जाने से पहले पुष्टिकारी प्राधिकारी, इस नियम के उप–नियम (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन कार्य निरीक्षक और विहित प्राधिकारी में न्यस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा प्रतिषिद्ध कृत्य के उल्लंघन हेतु व्यतिकमी को प्रपत्र II में स्वयं नोटिस जारी करेगा और साथ ही धारा 14 के अधीन सुविधा प्रदान करने हेतु कार्रवाई करेगा, इसके पश्चात ही वह इस मामले को संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता प्रभारी के पास भेजेगा।

5. **लागत और दंड की वसूली हेतु प्रकियाः–** (1) लागत व दंड की वसूली में व्यतिकम होने की स्थिति में, विहित प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 11 उप–धारा (2) के खण्ड (1) और (2) के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य लागत और दंड अवधारित करेगा, जिसकी भूमि राजस्व वसूली बकाया के रूप में वसूली हेतु पुष्टिकारी प्राधिकारी द्वारा संबंधित कलक्टर से निवेदन कर वसूली की जाएगी।

   (2) लागत, दंड और जुर्माने के द्वारा अधिनियम के अधीन प्राप्त आगमों को पुष्टिकारी प्राधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के लेखा के रसीद शीर्ष के अधीन सरकारी कोषागार में जमा कराया जाएगा।

6. **निर्वचन :–** इन नियमों को लागू करने के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो निर्णय करने के लिए उसे सरकार के पास भेजा जाएगा तथा सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा।

7. **शिकायत का निवारण :–** शिकायत के निवारण हेतु सरकार दिशा–निर्देश जारी कर सकती है जो इन के जारी किये जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

8. **शिथिलीकरण की शक्ति :–** जहां सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां लिखित में कारण अभिलिखित कर वह इन नियमों के किन्हीं उपबंधों में शिथिलता प्रदान कर सकती है।

प्रपत्र – I

(नियम 4(1)(क) देखें)

उत्तराखण्ड सड़क संरचना संरक्षण नियम, 2023 के नियम 4 के उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन कार्य निरीक्षक द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस (दो प्रतियों में)

सेवा में .....

(व्यतिक्रमी व्यक्ति का नाम और पता)

विषयः उत्तराखण्ड सड़क संरचना संरक्षण नियम, 2014 की धारा 3 के अधीन उपबंधित सड़क संरचना पर प्रतिषिद्ध कृत्यों के उल्लंघन हेतु उत्तराखण्ड सड़क संरचना संरक्षण नियम, 2023 के नियम (4)(1)(क) के अधीन नोटिस।

महोदय/महोदया,

यह जानकारी में आया है कि संलग्न चित्र के अनुसार आप उत्तराखण्ड सरकार की सड़क संरचना पर सड़क के एक भाग में प्रतिषिद्ध कृत्य चला रहे हैं जिस के कारण सड़क (नाम) .... के चैनेज ..... पर सड़क संरचना को क्षति हुई है या और अधिक क्षति होने की संभावना है। उत्तराखण्ड सड़क संरचना संरक्षण नियम, 2014 की धारा 3 के अधीन उक्त गतिविधि प्रतिषिद्ध है।

अतः, वर्तमान नोटिस अधिनियम की धारा 5 के अधीन होते हुए और अधोहस्ताक्षरी इसके लिए सक्षम हो कर आप को एतद्द्वारा उक्त प्रतिषिद्ध गतिविधि को तुरंत रोकने का निर्देश देता है। आप को यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, इस सड़क संरचना को हुई क्षति की बहाली की प्रकिया आरम्भ करें तथा एक सप्ताह के भीतर उसे पूरा करें। ऐसा न कर पाने पर सड़क संरचना की यथापूर्व स्थिति बहाल करने का कार्य, अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) के उपबंधों के अनुसार पुष्टिकारी प्राधिकारी द्वारा इस के लिए अधिरोपित बहाली लागत के साथ, आप की लागत व जोखिम पर विभाग द्वारा आरम्भ कर दिया जाएगा।

कृपया प्राप्ति सूचना दें।

कार्य निरीक्षक
(पूर्ण पदनाम)

स्थानः
समयः
दिनांकः
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. विहित प्राधिकारी
2. अधिशासी अभियंता (पुष्टिकारी प्राधिकारी)

कार्य निरीक्षक

प्रपत्र – ।।
(नियम 4(1)(ख) देखें)

उत्तराखण्ड सड़क संरचना संरक्षण नियम, 2023 के नियम 4 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस (दो प्रतियों में)

सेवा में .....

(व्यतिकमी व्यक्ति का नाम और पता)

विषयः उत्तराखण्ड सड़क संरचना संरक्षण नियम, 2014 की धारा 3 के अधीन उपबंधित सड़क संरचना पर प्रतिषिद्ध कृत्यों के उल्लंघन हेतु उत्तराखण्ड सड़क संरचना संरक्षण नियम, 2023 के नियम (4)(1)(ख) के अधीन नोटिस।

महोदय / महोदया,
यह जानकारी में आया है कि संलग्न चित्र के अनुसार आप उत्तराखण्ड सरकार की सड़क संरचना पर सड़क के एक भाग में..... का कार्य चला रहे हैं जिस के कारण सड़क (नाम)..... के .....चैनेज पर संरचना को क्षति हुई है या और अधिक क्षति होने की संभावना है। उत्तराखण्ड सड़क संरचना संरक्षण नियम, 2014 की धारा 3 (————————) के अधीन उक्त गतिविधि प्रतिषिद्ध है।

अतः, अधिनियम की धारा 5 के अधीन न्यस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी आप को वर्तमान नोटिस जारी कर उक्त प्रतिषिद्ध गतिविधि को तुरंत रोकने का निर्देश देता है। आप को यह निर्देश भी दिया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, इस सड़क संरचना को हुई क्षति की बहाली की प्रक्रिया आरम्भ करें तथा एक सप्ताह के भीतर उसे पूरा करें। ऐसा न कर पाने पर सड़क संरचना की यथापूर्व स्थिति बहाल करने का कार्य, अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) के उपबंधों के अनुसार पुष्टिकारी प्राधिकारी द्वारा इस के लिए अधिरोपित बहाली लागत के साथ, आप की लागत व जोखिम पर विभाग द्वारा आरम्भ कर दिया जाएगा।

कृपया प्राप्ति सूचना दें।

विहित प्राधिकारी
(पूर्ण पदनाम)

स्थानः
समयः
दिनांकः
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषितः
1. अधिशासी अभियंता (पुष्टिकारी प्राधिकारी)

विहित प्राधिकारी
(पूर्ण पदनाम)

प्रपत्र – III

(नियम–3(5) देखें)

1. **अधिनियम की धारा 14 के अधीन उपबंधित किये गए अनुसार सड़क संरचना के संबंध में सुविधा प्राप्त करने के लिए अनुमति हेतु उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा नियम, 2023 के नियम 3 (5) के अधीन आवेदन**

सेवा में,

अधिशासी अभियंता

.....

विषयः उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 की धारा 14 के अधीन उपबंधित किये गए अनुसार सुविधा प्राप्त करने के लिए नियम 3(5) के अधीन आवेदन

1. अनुमति चाहने वाले व्यक्ति का नामः
2. पिता का नाम
3. पताः
4. प्राप्त की जाने वाली सुविधा
5. क) यदि पहुंच मार्ग है तो सक्षम प्राधिकारी/विभाग का मकान निर्माण की मंजूरी का पत्र

   ख) यदि धारा 14 के खण्ड (ii) से (vi) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य सुविधा की मांग की गई है तो पूर्ण मानचित्र का चित्र संलग्न किया जाए।
6. विवरण संलग्नक
7. कोई अन्य जानकारी
8. क्या पहले भी ऐसी अनुमति प्राप्त की गई है, यदि हां तो इसका दिनांकः
9. विभाग में इस प्रकार जमा की गई कार्य की धनराशि तथा रसीद की प्रतिः

मैं, ...एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि उपरोक्त प्रपत्र में मेरे द्वारा दिये गए विवरण एवं दस्तावेज सत्य और सही हैं। इसका कोई भी भाग गलत नहीं है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं, आगे यह भी घोषित करता हूं कि मुझसे अपेक्षित अपेक्षा(ओं) के अनुपालन में असफल रहने पर उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार उतनी ही धनराशि मुझसे वसूल की जा सकेगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थानः
समयः
दिनांकः

प्रपत्र – IV

(नियम–3(6) देखें)

उत्तराखण्ड सरकार लोक निर्माण विभाग डिविजन ..... सब–डिविजन ..... पुस्तक सं. सं. ..... दिनांक .... के लेखे ....से ..... रुपये प्राप्त किये दिनांकित रोकड़िया अथवा लेखाकार के हस्ताक्षर दिनांकित रसीद प्रदान करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	उत्तराखण्ड सरकार लोक निर्माण विभाग सरकार को भुगतान हेतु रसीद पुस्तक सं. सं. स्थान डिविजन ..... सब–डिविजन.....दिनांक..... ..... के लेखे ....से ..... रुपये प्राप्त किये रोकड़िया अथवा हस्ताक्षर लेखाकार पदनाम

प्रपत्र – V

(नियम–3 क (1) देखं)

सड़क भूमि संरचना रजिस्टर

सड़क का नाम .....

किलो. मीटर. .....

जनपद .....

कम सं.	तहसील / सब–डिविजन का नाम	ग्राम / मोहल्ले का नाम	प्लॉट सं. / खसरा सं	भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5

नोटः सूचना को रजिस्टर में किलोमीटर–वार रखा जाए।

प्रपत्र – VI

(नियम–4 देखें)

अनधिकृत कब्जे को हटाने की लागत तथा अधिरोपित दंड की वसूली हेतु देयक

1. उस व्यक्ति का नाम जिस के नाम पर देयक जारी किया जाना है
2. पिता का नाम
3. पता (टेलीफोन नंबर के साथ)
4. सड़क का नाम और किलोमीटर के साथ अनधिकृत कब्जे की अवस्थिति
5. अनधिकृत कब्जा हटाने/निर्माण के परिवर्तन सहित निर्माण कराने/क्षति की मरम्मत में हुआ व्यय (रुपये में)

   अतिरिक्त प्रभार

   अधिरोपित दंड

   योग

देयक जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर

स्थान .....

दिनांक .....